प्रस्तावित Bihar Legal Metrology

(Government Approved Test Centre) Rules, 2026 से संबंधित सुझाव एवं आपत्ति निम्नलिखित ई–मेल आईडी पर दर्ज कर सकते है :–

clmbiharpatna@gmail.com

Bihar Legal Metrology (GATC) Rules, 2026

No. ……………. Weights and Measures (Legal) 2026- ……………..- In exercise of the powers conferred under section 53 (e) of the Legal Metrology Act, 2009 after consultation with the Central Government, the State Government with the following Rules :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short title extent & commencement**-
   (1) These rules may be called The Bihar Legal Metrology (GATC) Rules, 2026
   (2) They extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions**- In these rules, unless the extent otherwise requires-
   (1) (a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
   (b) "Government Approved Test Centre" means a person who has been approved by the Central Government or State Government to undertake verification of weight or measure specified in these rules.
   (c) "Principal Officer" means the officer who is In-charge of Government Approved Test Centre;
   (d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
   (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER-II

3. **Verification by Government Approved Test Centre**.-
   (1) The weights and measures specified in the First Schedule shall either be verified by a Government Approve Test Centre or by the legal metrology officers who have been appointed under section 14 of the Legal Metrology Act, 2009.
   (2) Any person can apply for verification of weights and measures according to the Legal Metrology (GATC) Rules, 2013 or as amended by the Central Government.
   (3) All such Government Approved Test Centre shall be under the complete control of Bihar State Government.

162

CHAPTER-III
Approval of Government Approved Test Centre

4. **General Provisions relating to Government Approved Test Centre.-**
   (1) The list of recognized Government Approved Test Centre shall be notified from time to time.
   (2) Government Approved Test Centre recognized under these rules shall carry out verification of weights or measures as specified in these rules and according to the specifications given in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and as advised by Director, Legal Metrology from time to time.
   (3) Government Approved Test Centre shall maintain Standard Weights or Measures as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and other instruments and equipments as advised by the Director of Legal Metrology or Controller of Legal Metrology, Bihar.
5. **Recognition of Government Approved Test Centre.-**
   (1) Any person desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures specified herein shall submit an application to the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Agriculture or Controller of Legal Metrology, Bihar in the form specified in the Second Schedule.
   (2) The application shall be made only by the Principal officer of the said laboratory.
   (3) (1) The Controller or legal metrology officers authorised by him shall inspect the premises of the test center within seven working days prior to making any recommendation for its approval, including the specification of its area of operation.
   (2) While making recommendation for approval a Government Approved Test Centre, the Controller of Legal Metrology, Bihar shall consider the following :-
      a) availability and accessibility of land and building;
      b) adequacy of measuring equipments, testing facilities and other infrastructure;
      c) availability of technically qualified man power;
      d) capacity for efficient and timely service to customers;
      e) shall get equipment periodically verified by secondary standard laboratory or any other agency determinable by Controller, Legal Metrology,

f) the employees shall be trained in institutions nominated by Controller of Legal Metrology, Bihar, whose expenditure shall be incurred by the concerned GATC.

g) any other factor, which in the opinion of Controller of Legal Metrology, Bihar will affect proper functioning of Government Approved Test Centre;

h) conditions to set up;

(i) non-standard weight or measure shall not be verified by the Government Approved Test Centre.

(ii) Government Approved Test Centre shall verify the weights and measures which are submitted with requisite fee of verification with an application indicate therein-

(A) Name and full address of manufacturer or importer or dealer or user.

(B) Location of the factory or premises in which such weight or measure is manufactured or imported or intended to be used.

(C) Maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value, accuracy class of weight or measure, to be verified.

(iii) After verification the Government Approved Test Centre shall issue the certificate of verification.

(iv) the certificate of verification shall remain valid for a period as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and shall be reverified for such period on payment of prescribed fee.

(v) Every Government Approved Test Centre shall submit to the State Government at the end of calendar year, a statement as to the number of weights and measures verified.

i) **Qualifications** – The qualification of the principal officer or any of the employee of the Government Approved Test Centre shall be equivalent to the qualification as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 for a Legal Metrology Officer;

j) **Experience**- The Principal officer or any of the employees of the Government Approved Test Centre shall have working experience of at least three years in the field of Legal Metrology.

(4) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of the Department of Agriculture, Bihar shall be the Competent Authority to approve the Government Approved Test Centre who shall give such approval on the recommendation of the Controller of Legal Metrology, Bihar.

(5) The competent authority shall grant approval under sub-rule (4), for one year and thereafter the same shall be renewed for a period not exceeding five years at a time.

(6) The Controller of Legal Metrology will issue a specific code number to each Government Approved Test Centre for easy identification and records.

(7) In case of non-fulfilling of eligibility conditions the Controller of Legal Metrology shall reject the application within fifteen working days and send a written communication to the applicant.

(8) Any person aggrieved by orders under sub-rule (7) may appeal within thirty working days to the State Government.

(9) Certificate of approval granted to any Government Approved Test Centre may be suspended by the State Government in case of Government Approved Test Centre fails to comply with any terms and conditions specified in these rules :

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the Government Approved Test Centre an opportunity of showing cause against the proposed action:

Provided further that the suspension shall be revoked on compliance of such terms and conditions.

(10) The Controller or his authorised officer may visit the Government Approved Test Centre as and when required and the Principal Officer shall permit inspections and render all assistance for the purpose including the production of records with regard to verification of weights and measures.

(11) The Principal Officer shall submit a quarterly report to the Controller of Legal Metrology, Bihar in respect of the weights and measures verified by them, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant information, as required.

(12) The Principal Officer, while verifying the weights and measures shall adopt the procedure laid down in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

(13) The certificate of approval granted may be cancelled by the Controller if the circumstances are such that it cannot be reasonably expected to function properly as a Government Approved Test Centre.

Provided that no certificate of recognition shall be cancelled except after giving an opportunity of being heard.

(14) Where the certificate of approval has been granted under sub-rule (4) or suspended under sub-rule (9) or cancelled under sub-rule (13), the Controller of Legal Metrology, Bihar shall ensure that the information of such action has been given to the concerned Legal Metrology officers'.

(15) The competent authority may require Government Approved Test Centre to take out third party liability insurance sufficient to cover any claim for damage due to any lapses or violation of government instructions by such Government Approved Test Centre.

CHAPTER-IV
Certificate of Government Approved Test Centre

6. **Duties of the Principal Officer.**- The principal officer of the test centre has the following responsibilities, namely.-
   - (i) to establish and operate the test centre as an independent unit;
   - (ii) to ensure that the staff of the test centre carry out their duties independently;
   - (iii) to inform the Controller of Legal Metrology, Bihar of cessation of operation of test centre;
   - (iv) to maintain the accuracy of testing equipment as per rules and directions issued from time to time.
   - (v) to maintain proper record of testing and certificates issued by Government Approved Test Centre.
   - (vi) to record and redress grievances of customers in appropriate manner;
   - (vii) to abide by the directions issued by Controller of Legal Metrology, Bihar from time to time,
   - (viii) only weights or measures conforming to specification are stamped;
   - (ix) verification stamps are adequately protected against fraudulent use;
   - (x) the weights and measure received for verification and stamping should be returned by Government Approved Test Centre after due verification within fifteen days.

7. **Fee for verification or re-verification-**
   - (1) The fee payable to test centre for verification or re-verification of weights or measures shall be as specified in the fifth schedule or as amended by the Central Government in Legal Metrology (GATC) Rules.
   - (2) Every Government Approved Test Centre shall have to deposit the share of the state as 25 % (twenty five percent) of the fee specified in the fifth Schedule and additional fee as per Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014 within one week in specified head of the Government Account by the Controller, Legal Metrology.
   - (3) Every GATC shall have to deposit share of the state 25 % (twenty five percent) of the fee as collected for verification or re-verification of in-situ instruments as per Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014.

8. **Mark of verification**.-
   (1) The Government Approved Test Centre after carrying out metrological evaluation of weight or measure and on being satisfied that the same conforms to specification laid down under the Act and rules made thereunder shall stamp the same and also issue a certificate of verification.
   (2) The verification mark shall contain the following particulars; namely :-
      (i) the legend "BIH" and the code number assigned to the test centre in the upper half of semi-circle;
      (ii) code letter for the quarter of the year and two digits for the year in the lower half of semi-circle.
   (3) A certificate of verification shall also be issued by the test centre as a proof of verification.
   (4) The test centre shall issue separate certificate of verification for each weight or measure, such that the certificate conforms to individual instrument.
9. **Inspection of records**.- Every Government Approved Test Centre shall keep and retain records for five calendar years of evaluation of weight or measure carried out by them. These records shall be produced by the test centre before the Controller of Legal Metrology, Bihar or any officer authorized by him, as and when directed.
10. **Place of verification**.- The test centre shall undertake verification of weight or measure either in its authorized premises or within the territorial limits of the district, and may extend such verification to any part of the State in which the Government Approved Test Centre operates.
11. **Supervision of Government Approved Test Centre**.- The Controller or any other authorized legal metrology officer may visit the test centre from time to time to examine whether the Government Approved Test Centre are run as per laid down procedures and instructions issued by the Government.
12. **Liability**.- The Principal Officer responsible for the test centre shall be liable to the Government for any loss, damage, Legal claims.
13. **Contents of Government Approved Test Centre certificate**.- Every certificate of approval issued by Government shall contain the following information-
   (1) (a) the number of the certificate;
      (b) name of weight and measure for which Government Approved Test Centre has been approved;

(c) the mark or code assigned to the Government Approved Test Centre.
(d) a brief statement about Government Approved Test Centre.
(e) the special conditions, if any;
(f) period for which Government Approved Test Centre approved;
(g) range for verification of weight or measure;
(h) contact number for consumer redressal.

(2) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

(3) The Controller of Legal Metrology, Bihar shall cause the necessary action Government Approved Test Centre certificate to be published in the official Gazette.

14. Mark to Government Approved Test Centre.- The mark assigned to the Government Approved Test Centre shall contain the state identification letters, namely, BIH, the last two digits of the year of the issue (for example, 11), the code number assigned to the Government Approved Test Centre.

15.Revocation of certificate of Government Approved Test Centre.-

(1) A certificate of Government Approved Test Centre may be revoked if the State Government is satisfied on the recommendation of the Controller of Legal Metrology, Bihar that the Government Approved Test Centre approved, no longer complies with the provisions specified in the rules made under the Act, or specifically violates the directions given by Controller of Legal Metrology, Bihar from time to time:
Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given an opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where the certificate of Government Approved Test Centre has been revoked, the verification work shall be stopped by that Government Approved Test Centre immediately:
Provided that where, on such inspection, it is found that the verification of any such weight or measure is conducted, the Controller of Legal Metrology, Bihar may by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate other appropriate penal action.

156

(3) Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be duly notified.

16.Suspension of certificate of Government Approved Test Centre.-

(1) A certificate of Government Approved Test Centre for verification of specified weights and measures may be suspended by the State Government in the event of the omission or failure on the part of the holder of such certificate;

(i) to verify the weights or measures in accordance to which the certificate relates, or

(ii) verification not conforming to the rules or standards specified in the Act and rules made thereunder, or

(iii) not complying with the conditions specified in the certificate:

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the holder of the certificate an opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where any certificate has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure for which such suspension was made, has been complied and the sum for compounding the offence has been deposited to the Government in the same form as prescribed for applying the Government Approved Test Centre.

17.Renewal of Certificate : The approval granted to Government Approved Test Centre may be renewed for a period not exceeding five years at a time subsequently by the Controller of Legal Metrology, Bihar subject to the satisfactorily functioning of the centre.

18.Fees for Applying for Government Approved Test Centre of weights or measures to be deposited.- (1) A fee of rupees one lakh per weight or measure shall be deposited by the applicant seeking approval for Government Approved Test Centre and rupees one lakh as a security deposit.

(2) The fee shall be deposited either by demand draft or online payment mode or as specified by the Government.

(3) The same amount of fee for approval shall be payable at the time of renewal or recognition for a period of one year in respect of each equipment.

19. Expenditure on assessment or re-assessment or inspection of Government Approved Test centre during the calendar year.- All the expenses including transportation and accommodation, as per the entitlement of the officer(s) and in providing the facility and co-operation for the assessment or re-assessment or compulsory yearly inspection of Government Approved Test Centre shall be borne by the applicant.

20. Compounding the offences. – Where it is found that any Government Approved Test Centre has contravened the provisions specified in sub section (1) of section 48 may be compounded by a sum of rupees fifty thousand for the first offence and by a sum of rupees seventy five thousand for every subsequent contravention.

"First Schedule"

[See sub-rule (1) of rule 3]

Weights and Measures verified by the Government Approved Text Centre

The following weights and measures shall be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical thermometer
4. Automatic rail weighbridges
5. Tape measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII
8. Load cell
9. Beam scale
10. Counter machine
11. Weights of all category
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters.
19. Petrol/diesel dispenser
20. CNG dispenser
21. LPG dispenser
22. LNG dispenser
23. Hydrogen dispenser

154

Second Schedule
(See sub-rule (1) of rule 5)
Application for Approval of Government Approved Test Centre

(1) Full name and complete address of the applicant;

(2) Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied;

(3) Experience detail in the relevant field of the applicant;

(4) Detail of the organizational structure;

(5) Qualification of Principal Officer and other technical staff;

(6) Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/centre;

(7) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;

(8) Details of the Demand Draft;

(9) Jurisdiction/area for which application is made;

(10) Consumer complaint number.

Third Schedule [See rule 8]

Certificate of verification

Government Approved Test Centre (Name and Address) ....
No ....
Name of the Officer ....

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc.

Belonging to .... Locality ....

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instruments	Verification Fee Rs. P.	Carriage conveyance adjusting charges etc.
	Weight	Measures	Capacity	Class	Manufacturer	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs ...... deposited vide Money receipt No. .... dated ....
Repaired by/ Used by

Next verification due on ....

.... (Signature)
Principal Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

Fourth Schedule [See rule 14]

Certificate of Government Approved Test Centre

Government of Bihar

Controller of Legal Metrology

Certificate of Approval of Government Approved Test Centre [Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]

No. WM-.... (1)/2026 Dated Patna- 2026

Certify that M/s.. (name and address of Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test Centre for .... (name of place/ district) for the verification of following weights and measures with their ranges: (i)...(ii)... (iii)...Certificate No: GOI/ GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/...... (two digits of the State Code)/ 2013/ ....

Valid up to: ....

Controller of Legal Metrology

Copy to: Legal Metrology Officers, Bihar, for kind information.

Note: In case of consumer complaint please contact ...."

"Fifth Schedule"

[See sub-rule (1) of rule 7]

Fee payable to test centre for verification or re-verification

Sl. No.	Item	Verification fees (in Rs.../-)	Share of the state
1.	Water meter	(i) Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meters (iii) Rs. 2500.00 for industrial water meters	**25 % (twenty five percent) of the verification fee.**
2.	Sphygmomanometer	Rs. 100.00 per sphygmomanometer	
3.	Clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer	
4.	Automatic rail weighbridges	As per State Government fees	
5.	Tape measures	(i) Class I : Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II : Rs. 1.00 per meter or part thereof (iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof	

152

6.	Non-automatic weighing instrument of Accuracy Class III (upto 150kg)	(i) Rs. 2000.00 upto 10kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg	
7.	Non-automatic weighing instruments of Accuracy class IIII	(i) Rs. 2000.00 upto 10kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg	
8.	Load cell	(i) Rs. 2000.00 upto 5kN (ii) Rs. 3000.00 above 5kN and upto 100 kN	
9.	Beam scale	(i) Rs. 500.00 upto 5kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg	
10.	Counter machine	(i) Rs. 500.00 upto 10kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg	
11.	Weights of all category	(i) Fees for E1 class : (A) 1mg to 200g (22 pieces including rider) : Rs. 15000 (B) Assorted weights (per weight): (a) Rs. 1000 upto 10kg (b) Rs. 2000 above 10kg upto 50kg (ii) Fees for E_2 class weights will be one half the fees specified for E_1 class weights (iii) Fees for F_1 class weights will be one fourth the fees specified for E_1 class weights (iv) Fees for F_2 class weights will be one eighth the fees specified for E_1 class weights (v) Bullion weights: (A) 1g to 500 g: Rs. 25 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs. 50 per weight (vi) Carat weights: Rs. 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight : (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs. 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion) : 1 mg to 500 mg: Rs. 25 per weight (ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs. 25 per weight (C) Above 10kg to 50 kg: Rs. 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs. 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs. 1500	**25 % (twenty five percent) of the verification fee.**

12.	Gas meters	(i) Domestic: Rs. 500.00 (ii) Commercial: Rs. 2000.00 (iii) Industrial : Rs. 5000.00	
13.	Energy meters	(i) Domestic: Rs. 1000.00 (ii) Commercial: Rs. 3000.00 (iii) Industrial : Rs. 5000.00	
14.	Moisture meters	Rs. 2500	
15.	Speed meters for vehicles	Rs. 15000	
16.	Breath analyzers	Rs. 2500	
17.	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600	**25 % (twenty five percent) of the verification fee.**
18.	Flow meters	(i) Upto 100mm : Rs. 5000.00 (ii) Above 100mm : Rs. 5000.00 + Rs. 1000.00 for every $25mm^2$.	
19.	Petrol/diesel dispenser	Rs. 5000.00 each nozzle	
20.	CNG dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	
21.	LPG dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	
22.	LNG dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	
23.	Hydrogen dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	

175

बिहार विधिक माप विज्ञान (जीएटीसी) नियमावली, 2026

संख्या.....................बाट और माप (विधिक) 2026 .... विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 (e) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के परामर्श के पश्चात, राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :–

अध्याय–I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**

   (1) इन नियमों को बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2026 कहा जा सकेगा।

   (2) इनका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ :–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

   (1) (क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) से है;

   (ख) ''सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र'' (**Government Approved Test Centre**) का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे इन नियमों में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन का कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

   (ग) ''प्रधान अधिकारी'' का अर्थ उस अधिकारी से है जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रभारी है;

   (घ) ''अनुसूची'' का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

   (2) यहाँ प्रयुक्त और इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिया गया है।

अध्याय– II

3. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन :–**

   (1) प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट बाट और मापों का सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विधिक माप विज्ञान अधिकारियों, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 14 के तहत नियुक्त किए गए हैं, द्वारा किया जाएगा।

   (2) कोई भी व्यक्ति विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2013 या केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार बाट और माप के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है।

   (3) ऐसे सभी ''सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र'' पुरी तरह से बिहार राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे।

अध्याय– III

4. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से संबंधित सामान्य प्रावधान :**

   (1) मान्यता प्राप्त ''सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों'' की सूची समय–समय पर अधिसूचित की जाएगी।

   (2) इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त ''सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र'' इन नियमों में निर्दिष्ट और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में दी गई विशिष्टताओं तथा निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा समय–समय पर दी गई सलाह के अनुसार बाट या माप का सत्यापन करेंगे।

174 (3) "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट मानक बाट या माप और निदेशक, विधिक माप विज्ञान या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा सुझाये गए अन्य उपकरणों और यंत्रो को बनाए रखेंगे।

5. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र की मान्यता :–**

(1) यहाँ निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन केवल उक्त प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) (1) नियंत्रक या उनके द्वारा अधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी इसके अनुमोदन के लिए कोई सिफारिश करने से पूर्व परीक्षण केन्द्र के परिसर का निरीक्षण 7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर करेंगे, जिसमें इसके संचालन क्षेत्र का विनिर्देशन शामिल है।

(2) किसी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन की सिफारिश करते समय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार निम्नलिखित पर विचार करेंगे।

(क) भूमि और भवन की उपलब्धता और पहुँच ;

(ख) मापक उपकरणों, परीक्षण सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढ़ाचे की पर्याप्तता ;

(ग) तकनीकी रूप से योग्य मानवबल की उपलब्धता ;

(घ) ग्राहकों को कुशल और समय पर सेवा प्रदान की क्षमता ;

(ङ़) द्वितीय मानक प्रयोगशाला या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपकरणों का समय–समय पर सत्यापन करवायेंगे ;

(च) कर्मचारियों को नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा नामित संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा जिसका खर्च संबंधित सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्र वहन करेंगे;

(छ) कोई अन्य कारक, जो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार की राय में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के उचित कामकाज को प्रभावित करेगा ;

(ज) स्थापित करने की शर्तें ;

(i) गैर मानक बाट या माप का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ii) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र उन बाट और मापों का सत्यापन करेगा जो सत्यापन के आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह इंगित हो ;

(क) निर्माता या आयातकर्त्ता या डीलर या उपयोगकर्ता का नाम और पूरा पता।

(ख) उस कारखाने या परिसर का स्थान जिसमें ऐसे बाट या माप का निर्माण या आयात किया जाता है या उपयोग किया जाना है।

(ग) सत्यापित किये जाने वाले बाट या माप की अधिकतम और न्यूनतम 'e' या 'd' मान, सटीकता वर्ग (accuracy class)।

(iii) सत्यापन के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सत्यापन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(iv) सत्यापन का प्रमाण पत्र विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध रहेगा और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसी अवधि के लिए पुनः सत्यापित किया जायेगा।

(v) प्रत्येक "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" कैलेन्डर वर्ष के अंत में राज्य सरकार को सत्यापित बाट और मापों की संख्या का एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(झ) योग्यताएँ – सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी की योग्यता विधिक माप विज्ञान अधिकारी के लिए विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट योग्यता के अनुसार होगी;

(ञ) अनुभव – सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी की योग्यता विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम तीन साल करने कार्य अनुभव होना चाहिए।

(4) कृषि विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार की सिफारिश पर ऐसी मंजूरी देंगे।

(5) सक्षम प्राधिकार उप–नियम (4) के तहत एक वर्ष के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा और उसके बाद इसे एक बार में अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान आसान पहचान और रिकॉर्ड के लिए प्रत्येक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को एक विशिष्ट कोड संख्या जारी करेगा।

(7) पात्रता शर्त्तों को पुरा न करने के मामले में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान आवेदन को 15 (पन्द्रह) कार्य दिवस के अन्दर अस्वीकार कर देगा और आवेदक को एक लिखित सूचना भेजेगा।

(8) उप–नियम (7) के तहत आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 (तीस) कार्य दिवस के अन्दर राज्य सरकार से अपील कर सकता है।

(9) किसी भी "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" को दिए गए अनुमोदन प्रमाण–पत्र को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया जा सकता है यदि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र इन नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं नियमों और शर्त्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है;

बशर्ते कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताओ अवसर दिए बिना ऐसा कोई निलंबन नहीं किया जाएगा;

आगे बशर्ते कि ऐसे नियमों और शर्त्तों का अनुपालन होने पर निलंबन वापस ले लिया जाएगा।

(10) नियंत्रक या उसका प्राधिकृत अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का दौरा कर सकता है और प्रधान अधिकारी बाट और माप के सत्यापन के संबंध में रिकॉर्ड पेश करने सहित उद्‌देश्य के लिए निरीक्षण की अनुमति देगा और सभी सहायता प्रदान करेगा।

(11) प्रधान अधिकारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार को उनके द्वारा सत्यापित बाट और मापों, संकलित शुल्क, प्रत्येक जाँच में लगे समय और आवश्यकतानुसार अन्य प्रासंगिक जानकारी के संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) प्रधान अधिकारी, बाट और माप का सत्यापन करते समय विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगा।

(13) प्रदान किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र को नियंत्रक द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उससे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में ठीक से काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

बशर्ते कि सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमोदन का कोई प्रमाण–पत्र रद्द नहीं किया जाएगा।

(14) जहाँ उप–नियम (4) के तहत अनुमोदन का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या उप–नियम (9) के तहत निलंबित किया गया है या उप–नियम (13) के तहत रद्द किया गया है, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कार्रवाई की सूचना संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को दे दी गई है।

172

(15) सक्षम प्राधिकार "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" को तीसरे पक्ष के दायित्व बीमा (third party lability insurance) लेना आवश्यक होगा, जो ऐसे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी चूक या सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान के किसी भी दावे को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।

अध्याय—IV

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र

6. **प्रधान अधिकारी के कर्त्तव्य :—** परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ है, अर्थात,

(i) परीक्षण केन्द्र को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित और संचालित करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण केन्द्र के कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों को स्वतंत्र रूप से पालन करें;

(iii) परीक्षण केन्द्र के संचालन की समाप्ति की सूचना नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार को देना;

(iv) समय—समय पर जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपकरणों की सटीकता बनाए रखना;

(v) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी परीक्षण और प्रमाण पत्रों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना;

(vi) ग्राहकों की शिकायतों को उचित तरीके से दर्ज करना और उनका निवारण करना;

(vii) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन करना;

(viii) केवल विनिर्देशों के अनुरूप बाट या माप पर मुहर लगाना;

(ix) सत्यापन मुहरों को धोखाधड़ी वाले उपयोग से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखना;

(x) सत्यापन और मुहर लगाने के लिए प्राप्त बाट और माप को उचित सत्यापन के बाद पंद्रह दिनों के भीतर "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

7. **सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए शुल्क :—**

(1) बाट या माप के सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केन्द्र को देय शुल्क पाँचवी अनुसूची में निर्दिष्ट एवं भारत सरकार द्वारा समय—समय पर विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली में संशोधन के अनुसार होगा।

(2) प्रत्येक "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" को राज्य का हिस्सा, जैसा कि पाँचवी अनुसूची में निर्दिष्ट सत्यापन शुल्क एवं बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2014 के अनुसार देय अतिरिक्त शुल्क का 25% (पच्चीस प्रतिशत) है, एक सप्ताह के अन्दर नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा निर्दिष्ट सरकारी शीर्ष में जमा करना होगा।

(3) प्रत्येक "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" के बाट माप के सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2014 में निर्धारित स्व—स्थान सत्यापित मशीनों (In situ) के शुल्क का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी शीर्ष में जमा करना होगा।

8. **सत्यापन का चिन्ह् :—**

(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र बाट या माप का मेट्रोलॉजिकल मूल्यांकन करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है, उस पर मुहर लगाएगा और सत्यापन का एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।

(2) सत्यापन चिन्ह में निम्नलिखित विवरण होंगे; अर्थात:–

(i) अर्ध–वृत्त (semi-circle) के ऊपरी आधे हिस्से में शब्द "BIH" और परीक्षण केन्द्र को सौंपा गया कोड नम्बर;

(ii) अर्ध– वृत्त के निचले आधे हिस्से में वर्ष की तिमाही के लिए कोड अक्षर और वर्ष के लिए दो अंक।

(3) सत्यापन के प्रमाण के रूप में परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन का एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।

(4) परीक्षण केन्द्र प्रत्येक बाट या माप के लिए अलग से सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे के प्रमाण पत्र व्यक्तिगत उपकरण के अनुरूप हो।

9. **रिकॉर्ड का निरीक्षण:**– प्रत्येक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र उनके द्वारा किए गए बाट या माप के मूल्यांकन के रिकॉर्ड पाँच कैलेंडर वर्षों तक रखेगा। इन रिकॉर्ड्स को परीक्षण केन्द्र द्वारा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **सत्यापन का स्थान** – परीक्षण केन्द्र या तो अपने प्राधिकृत परिसर में या जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर बाट या माप का सत्यापन करेगा और ऐसे सत्यापन का विस्तार राज्य के किसी भी हिस्से में कर सकता है जिसमें सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र संचालित होता है।

11. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का पर्यवेक्षण** – नियंत्रक या कोई अन्य अधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी समय–समय पर परीक्षण केन्द्र का दौरा कर यह जाँच कर सकता है कि क्या सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

12. **दायित्व** – परीक्षण केन्द्र के लिए जिम्मेदार प्रधान अधिकारी किसी भी नुकसान, क्षति, कानूनी दावों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

13. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र प्रमाण पत्र की विषय वस्तु** – सरकार द्वारा जारी अनुमोदन के प्रत्येक प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी –

(1) **(क) प्रमाण पत्र की संख्या ;**

(ख) बाट और माप का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को मंजूरी दी गई है ;

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सौंपा गया चिन्ह या कोड ;

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के बारे में एक संक्षिप्त विवरण ;

(ङ) विशेष शर्तें, यदि कोई हो ;

(च) वह अवधि जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को मंजूरी दी गई है ;

(छ) बाट या माप के सत्यापन की सीमा (range) ;

(ज) उपभोक्ता निवारण के लिए सम्पर्क नंबर ;

(2) जहाँ कोई बाट या माप विशेष उपयोग के लिए अभिप्रेत है, ऐसे बाट या माप के संबंध में अनुमोदन का प्रमाण पत्र उस विशेष उपयोग को इंगित करेगा।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार आधिकारिक राजपत्र में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र प्रमाण पत्र प्रकाशित करने की आवश्यक कार्रवाई करायेगा।

14. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को चिन्ह** – सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सौंपे गये चिन्ह में राज्य पहचान अर्थात BIH जारी होने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिए 11) और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सौंपा गया कोड नंबर शामिल होगा।

170

15. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण** (Revocation):–

(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है यदि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार की सिफारिश पर राज्य सरकार संतुष्ट है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अब अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है या विशेष रूप से समय–समय पर नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करता है ;

बशर्ते कि ऐसे प्रमाण पत्र को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रमाण–पत्र धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।

(2) जहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है, उस सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन कार्य तुरंत रोक दिया जायेगा।

बशर्ते कि जहाँ, ऐसे निरीक्षण पर, यह पाया जाता है कि किसी ऐसे बाट या माप का सत्यापन किया गया है, जिसे नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार आदेश द्वारा ऐसे बाट या माप के उपयोग को रोक सकता है और अन्य उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(3) अनुमोदन प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण या निलंबन के प्रत्येक आदेश को विधिवत अधिसूचित किया जायेगा।

16. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण पत्र का निलंबन** :–

(1) निर्दिष्ट बाट और मापों के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा एसे प्रमाण पत्र धारक की ओर से निम्नलिखित चूक या विफलता की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है ;

(i) उन बाटों या मापों का सत्यापन करना जिनसे प्रमाण पत्र संबंधित है, या

(ii) अधिनियम और उसके तहत् बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियमों या मानकें के अनुरूप सत्यापन न करना या

(iii) प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट शर्तो का अनुपालन न करना –

बशर्ते कि ऐसा कोई निलंबन प्रमाण पत्र धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी प्रमाण पत्र को उप–नियम (1) के तहत निलंबित कर दिया गया है, निलंबन का आदेश तब तक रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि उस चूक या विफलता का अनुपालन न कर लिया गया हो जिसके लिए ऐसा निलंबन किया गया था और अपराध को शमन (Compound) करने के लिए राशि सरकार के पास उसी प्रपत्र में जमा नहीं कर दी गई हो जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित है।

17. **प्रमाण पत्र का नवीकरण** – सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को दी गई स्वीकृति केन्द्र के संतोषजनक कामकाज के अधीन नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा बाद में एक बार में पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीकृत नहीं की जा सकती है।

18. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में बाट या माप आवेदन के लिए जमा किया जाने वाला शुल्क** :–

(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन की माँग करने वाले आवेदक द्वारा प्रति बाट या माप एक लाख रूपये का शुल्क और सुरक्षा जमा (Security Deposit) के रूप में एक लाख रूपये जमा किये जायेगा।

(2) शुल्क या तो डिमाण्ड ड्राफ्ट या ऑनलाईन भुगतान मोड द्वारा या सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में जमा किया जायेगा।

(3) अनुमोदन के लिए समान शुल्क राशि नवीकरण या मान्यता के समय प्रत्येक उपकरण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए देय होगी।

19. कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन या निरीक्षण पर व्यय :– परिवहन और आवास सहित सभी खर्च, अधिकारी (अधिकारियों) की पात्रता के अनुसार और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मूल्यांकन या **पुनः** मूल्यांकन या अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण के लिए सुविधा और सहयोग प्रदान करने में होने वाला व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

20. अपराधों का शमन (Compounding) – जहॉ यह पाया जाता है कि किसी भी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने धारा–48 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो उसे पहले अपराध के लिए पचास हजार रूपये की राशि और प्रत्येक बाद के उल्लंघन के लिए पचहत्तर हजार रूपये की राशि द्वारा शमन (Compounding) किया जा सकता है।

"प्रथम अनुसूची"

[देखें नियम 3 का उप–नियम (1)]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित बाट और माप

निम्नलिखित बाट और माप सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित किए जाएंगे :–

1. जल मीटर
2. रक्तचापमापी
3. क्लिनिकल थर्मामीटर
4. स्वचालित रेल वेब्रिज
5. मापन टेप
6. सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर–स्वचालित तौल उपकरण
7. सटीकता वर्ग IIII के गैर–स्वचालित तौल उपकरण
8. लोड सेल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों के बाट
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मीटर
15. वाहनों के लिए गति मीटर
16. श्वास विश्लेषक
17. बहुआयामी मापक यंत्र
18. फ्लो मीटर
19. पेट्रोल / डीजल डिपेंसर (Flow meters)
20. सीएनजी डिस्पेंसर
21. एलपीजी डिस्पेंसर
22. एलएनजी डिस्पेंसर
23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर

168

"द्वितीय अनुसूची"

[देखें नियम 5 का उप–नियम (1)]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के अनुमोदन के लिए आवेदन

(1) आवेदक का पूरा नाम और पूर्ण पता;

(2) उस बाट या माप का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र हेतु आवेदन किया गया है;

(3) आवेदक के प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव का विवरण;

(4) संगठनात्मक संरचना का विवरण;

(5) प्रधान अधिकारी और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता;

(6) उपलब्ध मानकों का विवरण और आवेदक/केंद्र के पास उपलब्ध अन्य परीक्षण सुविधाओं का विवरण,

(7) प्रयोगशाला की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रतिलिपि, यदि उपलब्ध हो;

(8) डिमांड ड्राफ्ट का विवरण;

(9) अधिकार क्षेत्र/क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है;

(10) उपभोक्ता शिकायत संख्या।

"तृतीय अनुसूची"

[देखें नियम 8]

सत्यापन का प्रमाणपत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र (नाम और पता)..

संख्या...

अधिकारी का नाम...

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने आज निम्नलिखित बाटों, मापों आदि का सत्यापन किया और मुहर लगाई/अस्वीकार किया।

संबंध रखने वाले (Belonging to)...स्थान (Locality)........................

मात्रा (Quantity)	मूल्यवर्ग (Denomination)		तौल उपकरण (Weighing Instruments)				मापक यंत्र (Measuring Instruments)	सत्यापन शुल्क रू0 पैसे	कैरिज कन्वेयस समायोजन प्रभार आदि
	बाट (Weight)	माप (Measures)	क्षमता (Capacity)	वर्ग (Class)	निर्माता (Quantity)	प्रकार (Type)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कुल रू0...............मनी रसीद संख्या.............दिनांक..................के माध्यम से जमा किए गए।

द्वारा मरम्मत/द्वारा उपयोग

.............................हस्ताक्षर

प्रधान अधिकारी

अगला सत्यापन देय तिथि...........................

नोट: अस्वीकृत बाटों, मापों आदि के मामले में, प्रधान अधिकारी प्रत्येक आइटम के विरुद्ध अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति प्रमाण पत्र देगा।

"चतुर्थ अनुसूची"
[देखें नियम 14]
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाणपत्र

बिहार सरकार
नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के अनुमोदन का प्रमाणपत्र
[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के तहत]

सं० WM (1)/2026 दिनांक, पटना—......................2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स..(सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का नाम और पता) को ....(स्थान/जिले का नाम) के लिए निम्नलिखित बाटों और मापों को उनकी सीमाओं के साथ सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है : (i).. (ii)..
(iii)..

प्रमाणपत्र संख्या: GOI/GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/-----------(राज्य कोड के दो अंक)/2013/............

वैधता अवधि ......

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार

प्रतिलिपि : विधिक माप विज्ञान अधिकारियों , बिहार को सूचनार्थ।
नोट: उपभोक्ता शिकायत के मामले में कृपया संपर्क करें.....................”

166

"पाँचवीं अनुसूची"

[देखें नियम 7 का उप–नियम (1)]

सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केंद्र को देय शुल्क

क्र0 सं0	वस्तु (Item)	सत्यापन शुल्क (रू. में........./–)	राज्य का हिस्सा
1	जल मीटर	(i) घरेलू जल मीटर के लिए 250.00 रूपये (ii) वाणिज्यिक जल मीटर के लिए 1000.00 रूपये (iii) औद्योगिक जल मीटर के लिए 2500.00 रूपये	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत
2	रक्तचापमापी (Sphygmomanometer)	100.00 रूपये प्रति रक्तचापमापी	
3	क्लिनिकल थर्मामीटर	50.00 रूपये प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर	
4	स्वचालित रेल वेब्रिज	राज्य सरकार के शुल्क के अनुसार	
5	मापन टेप (Tape measures)	(i) क्लास I: 2.00 रूपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (ii) क्लास II: 1.00 रूपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (iii) क्लास III: 0.50 रूपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए	
6	सटीकता वर्ग III के गैर–स्वचालित तौल उपकरण (150 किग्रा तक)	(i) 2000.00 रूपये (10 kg तक) (ii) 3000.00 रूपये (10 kg से अधिक और 150 kg तक)	
7	सटीकता वर्ग IIII के गैर–स्वचालित तौल उपकरण	(i) 2000.00 रूपये (10 kg तक) (ii) 3000.00 रूपये (10 kg से अधिक और 150 kg तक)	
8	लोड सेल	(i) 2000.00 रूपये (5 kN तक) (ii) 3000.00 रूपये (5 kN से अधिक और 100 kN तक)	
9	बीम स्केल	(i) 500.00 रूपये (5 kg तक) (ii) 1000.00 रूपये (5 kg से अधिक)	
10	काउंटर मशीन	(i) 500.00 रूपये (5 kg तक) (ii) 1000.00 रूपये (5 kg से अधिक)	

165

11	सभी श्रेणी के बाट	(i) E1 श्रेणी के लिए शुल्क : (A) 1 mg से 200 g (राइडर सहित 22 पीस): 15000 रूपये (B) मिश्रित बाट (प्रति बाट): (a) 1000.00 रूपये (10 kg तक) (b) 2000.00 रूपये (10 kg से 50 kg तक) (ii) E2 श्रेणी के बाटों का शुल्क E1 श्रेणी के निर्धारित शुल्क का आधा होगा (iii) F1 श्रेणी के बाटों का शुल्क E1 श्रेणी के निर्धारित शुल्क का एक चौथाई होगा (iv) F2 श्रेणी के बाटों का शुल्क E1 श्रेणी के निर्धारित शुल्क का एक आठवां होगा (v) बुलियन बाट (Bullion weights): (A) 1 g से 500 g: 25 रू. प्रति बाट (B) 500 g से ऊपर और 10 kg तक : 50 रू. प्रति बाट (vi) कैरेट बाट : 50 रू. प्रति बाट (vii) बेलनाकार नॉब प्रकार का बाट : (A) 1 g से 500 g: 10 रू. प्रति बाट (B) 500 g से ऊपर और 10 kg तक : 25 रू. प्रति बाट (viii) शीट धातु बाट (बुलियन के अलावा): 1 mg से 500 mg: 25 रू. प्रति बाट (ix) लोहे के हेक्सागोनल, नॉब प्रकार के बाट और समांतर चतुर्भुज (parallelpiped) बाट: (A) 1 g से 500 g: 10 रू. प्रति बाट (B) 500 g से ऊपर और 10 kg तक : 25 रू. प्रति बाट (C) 10 kg से ऊपर और 50 kg तक : 50 रू. प्रति बाट (x) उच्च मूल्यवर्ग के बाट: (A) 50 kg से 1000 kg तक : 1000रू. (B) 1000 kg से ऊपर और 5000 kg तक : 1500 रू.	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत
12	गैस मीटर	(i) घरेलू: 500.00 रू. (ii) वाणिज्यिक: 2000.00 रू. (iii) औद्योगिक : 5000.00 रू.	
13	ऊर्जा मीटर	(i) घरेलू: 1000.00 रू. (ii) वाणिज्यिक: 3000.00 रू. (iii) औद्योगिक : 5000.00 रू.	
14	नमी मीटर (Moisture meters)	2500 रू0	

164

15	वाहनों के लिए गति मीटर	15000 रू0	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत
16	श्वास विश्लेषक (Breath analyzers)	2500 रू0	
17	बहु–आयामी मापक यंत्र	3600 रू0	
18	फ्लो मीटर (Flow meters)	(i) 100 mm तक : 5000.00 रू. (ii) 100 mm से ऊपर : 5000.00 रू. + प्रत्येक 25 mm^2 के लिए 1000.00 रू0	
19	पेट्रोल / डीजल डिस्पेंसर	रू.5000 प्रत्येक नोजल	
20	सीएनजी डिस्पेंसर	रू.10000 प्रत्येक नोजल	
21	एलपीजी डिस्पेंसर	रू.10000 प्रत्येक नोजल	
22	एलएनजी डिस्पेंसर	रू.10000 प्रत्येक नोजल	
23	हाइड्रोजन डिस्पेंसर	रू.10000 प्रत्येक नोजल	